न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–85/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री स्व0 लल्लूराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. गुलाबदेवी पुत्री स्व0 लल्लूराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम कॉपरेटिव बैंक के पास चण्डीगढ़ बास, नौगांवा तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... असल रेस्पो0

2. चन्द्रकला देवी पुत्री स्व0 लल्लूराम पत्नि हजारी लाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 1, खाती वाड़ा मौहल्ला, खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमेश चन्द कौशिक अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री देवेन्द्र जैन अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.06.2018

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 942 रकबा 0.54 है0 जिसका खाता सं0. 474 है व ख0 नं0 1066 रकबा 0.01, 1067 रकबा 1.62 है0 जिसका खता सं0 493 है जो वाके ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी पूर्व में वादनी व प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता स्व0 लल्लूराम पुत्र छीतर की आराजी थी जो गैर खातेदारी की आराजी थी और पैतृक आराजी होने से वादनी का जन्म से हक निहित था तथा लल्लूराम के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी गैर खातेदारी की स्थिति में ही वादनी व प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी व उसकी दो अन्य

बहने नत्थी देवी व सुशीला देवी के नाम 1/5–1/5 भाग प्रत्येक का विरासत इन्तकाल खुल गया जिसके बाद सभी भाई, बहिनों यानि वादी व प्रतिवादी व अन्य ने उक्त आराजी की खातेदारी न्यायालय के आदेश से प्राप्त कर ली जिस पर जमाबन्दी आदि में नामान्तकरण सं0 803 दि0 18.2.2016 व इसी प्रकार 493 की आराजी का भी नामान्तकरण सं0 803 दिनांक 18.02.2016 को दर्ज कर लिया गया और उसके बाद वादी की बहन नत्थी देवी व सुशीला देवी ने अपने–अपने हिस्से की आराजी 1/5–1/5 भाग को प्रतिवादी के हक में हक त्याग दोनों खाता की आराजी में से कर दिया जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो गया । इस प्रकार विवादित आराजी के वादनी व प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी ही काबिज काश्तकार खातेदार हैं में वादनी का 1/5 भाग व तरतीबी प्रतिवादी का 1/5 भाग व प्रतिवादी का 3/5 भाग है जिस पर अपने–अपने हिस्से में आयी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और काबिज हैं तथा आराजी शामलात में है जिसे तकसीम कराया जाना आवश्यक है । अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रामगढ़ में दिनांक 22.6.2017 को उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर तकसीम किये जाने के आदेश पारित कर वादी का वाद दिनांक 22.6.2017 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 22.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि दिनांक 22.6.2017 को अपीलांट के पास कैम्प में उपस्थित होने की कोई सूचना नहीं आयी क्योंकि अपीलांट के अकेले की ही यह आराजी है और कब्जे काश्त में है । इसलिए प्रकरण में कोई राजीनामा नहीं हो सकता था क्योंकि वादनी का इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं था न है । कैम्प में अपीलांट के खाली आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करा लिये थे । प्रारम्भिक सहमति अपीलांट ने नहीं दी तथा ना ही आदेशिका में इसका विवरण है । अपीलांट की गैर हाजरी में आदेशिका लिखकर यह निर्णय दिया है ।

बहस में आगे कहा कि इस दावे में ना तो अपीलांट को जवाब देने का मौका तहत न्यायालय ने दिया और ना ही दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया तथा ना ही दोनों पक्षों की आदेशिका पर सहमति लीं गई । वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त आराजी लल्लूराम पुत्र छीतर की थी तथा यह आराजी कस्टोडियन की थी । इस कस्टोडियन की आराजी का इन्तकाल सं0 689 दि0 10.12.2014 को विरासत का लल्लूराम के वारिसान के नाम गलत दर्ज हो गया । इस आराजी पर लल्लूराम के समय से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है तथा उसके ही दि0 22.1.2016 को कस्टोडियन के पट्टे हेतु 76159 रू0 जमा करा दिये थे परन्तु पट्टा लल्लूराम के सभी पांचों वारिसों के नाम से जारी हो गया तथा उस समय अपीलांट की चारों बहिनों ने अपीलांट को आवश्वासन दिया कि हम चारों अपीलांट भाई के हक में हक त्याग कर देगें परन्तु इनकी पालना में 26.4.2016 को अपीलांट

की दो बहिनों नत्थी देवी व सुशीला ने अपने हिस्से का हक त्याग लिख कर रजिस्टर्ड करा दिया तथा उस समय अपीलांट की दो बहिने गुलाब देवी व चन्द्रकला नहीं आ सकी । उन्होंने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र अपीलांट के पक्ष में हक त्याग लिखकर दे देगी परन्तु अब वादनी के मन में बेईमानी आ गयी है । इसलिए उसने हक त्याग नहीं किया । इस प्रकार तहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने व बिना साक्ष्य लिये यह प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

असल रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कथन किया विवादित आराजी की राशि सभी ने जमा करायी है । तहत न्यायालय में हमारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का दावा था जिसमें हमने विवादित आराजी के बाबत बंटवारा चाहा था । विवादित आराजी में 3/5 हिस्सा अपीलांट ले ले जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमें तो हमारा 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में मुख्य तर्क यही है कि विवादित आराजी के बंटवारे के बाबत तहत न्यायालय में वाद 53 एवं 188 आर.टी.उएक्ट का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी को जवाब देने या कोई रिलीफ प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया गया । हमारे द्वारा तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.2.2014 का अवलोकन किया गया जिसमें पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.4.2017 नियत थी और उसके बाद शिविर कैम्प की दिनांक 22.6.2017 को ही प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलांट को जवाब पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और प्रतिवादनी चन्द्रकला की तलबी ही नहीं हुई तथा कैम्प में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । चूंकि प्राकृतिक न्याय के तहत अपीलांट को जवाब व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था । इसलिए अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट / प्रतिवादी सं0 1 व दो को सुनकर उनका जवाब प्राप्त कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर